भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 8

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने हेतु पहलें

8. डॉ. भोला सिंह:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता करने हेतु कोई पहल आरंभ की है;
(ख) यदि हां, तो वित्तीय चुनौतियों का सामना करने और कारोबार को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु किए गए प्रावधानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन पहलों की प्रभावकारिता की निगरानी की है; और
(घ) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के संबंध में अब तक क्या परिणाम देखे गए है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ):- सरकार ने वित्तीय चुनौतियों का सामना करने, ऋण प्राप्त करने और व्यवसाय में सुगमता के लिए एमएसएमई को सहायता देने के लिए नीचे दिए गए अनुसार कई पहलें की हैं:

(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अपने सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए गए ऋण के लिए गारंटी प्रदान करती है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक गारंटी कवरेज के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रुपये की सीमा तक कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जाता है। योजना की शुरुआत से लेकर 31.10.2024 तक, 7.57 लाख करोड़ रुपये की राशि से 97.68 लाख गारंटी को मंजूरी दी गई।

(ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार अवसर सृजित करना है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को गारंटी कवरेज के साथ 5% ब्याज दर पर ऋण सहायता सहित शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है।

(iv) एमएसएमई को विलंबित भुगतानों की समस्या का समाधान करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिग सिस्टम छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) शुरू की गई है।

(v) सरकार ने कंपनियों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 45 दिनों से अधिक बकाया भुगतानों की सूचना देने, एमएसएमई को शीघ्र भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करते हुए लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई प्ररूप-I शुरू किया है।

(vi) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में की गई थी। एमएसएमई सहित व्यवसायों को कुल 1.19 करोड़ गारंटी जारी की गई। इसमें से 2.42 लाख करोड़ रुपये की 1.13 करोड़ गारंटी एमएसएमई को जारी की गई। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की 23.01.2023 की शोध रिपोर्ट इंगित करती है कि ईसीएलजीएस योजना (पुनर्गठित सहित) के एनपीए बनने के कारण लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते बचाए गए, जिनमें से 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु श्रेणी में थे।

(vii) निवेश के आकार और टर्नओवर दोनों के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड जारी किए गए हैं।

(viii) व्यवसाय करने में सुमगता के लिए उद्यम पंजीकरण के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।

(ix) 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

(x) 02.07.2021 से एमएसएमई के रूप में खुदरा और थोक ट्रेडों को शामिल करना।

(xi) एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वमुखी परिवर्तन के मामले में कर संबंधी गैर-लाभ 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए हैं।

(xii) विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई निष्पादन प्रतिभूतियों, बोली प्रतिभूति और परिनिर्धारित नुकसानी के 95% की वापसी के रूप में राहत प्रदान की गई थी। संविदाओं के निष्पादन में चूक के कारण वंचित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई।

(xiii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता प्लेटफार्म की शुरुआत।

*****